तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **शेराराम बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार, जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 82 / 2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.05.2022	अपीलार्थी शेराराम पुत्र बींजाराम निवासी उगुणाबास, मथानिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.02.2022 में उसके द्वारा तहसीलदार, जोधपुर के आदेश क्रमांक राजस्व / 04 / 3529 आदेश दिनांक 06.07.2004 की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रतिलिपि से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित [illegible] आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:45:16 IST
Reason: SelfAttested